

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुमति एवं अर्पण की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA



(सीता राम यादव)
(SITA RAM YADAV)
पासपोर्ट अधिकारी
Passport Officer
पासपोर्ट कार्यालय
Passport Office
शाहिवाबाद/GHAZIABAD

पासपोर्ट
PASSPORT



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

အမျိုးအမည် / Type	အရေအတွက် / Quantity	အတိုးပေါက် / Increase
အမျိုးအမည် / Type	အရေအတွက် / Quantity	အတိုးပေါက် / Increase

राष्ट्र कोड / Country Code

पासपोर्ट नं. / Passport No.

P

IND

N8321363

उपनाम / Surname

दिया गया नाम / Given Name(s)

PRATEEK

राष्ट्रियता / Nationality

जन्म स्थान / Place of Birth

HAPUR, UTTAR PRADESH

GHAZIABAD

जारी करने की तिथि / Date of issue

Date of Birth

14/09/1982

Date of Expiry

30/03/2026

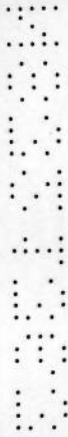
[illegible]

621079772467816
F8381049 19/06/2006 GHAZIABAD
PIN:245101,UTTAR PRADESH,INDIA
KABARI BAZAR,HAPUR
H NO 939
PARIDHI MEHTA
NINU GOEL
CHANDRA PRAKASH GOEL
N8321363



विविध सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE

टिप्पणी / OBSERVATION



संजीकरण
विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित भारतीय मिशन/केन्द्र में अपना पंजीकरण करावें।

चेतावनी
यह पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुप्त हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निम्नलिखित पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निम्नलिखित भारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। विस्तृत पुष्टि के बाद ही कुलीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION
INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION
THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

